

Bill No. 30 of 2017

**THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT)
BILL, 2017**
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in title, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In the title of the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956 (Act No. 43 of 1956), hereinafter in the Act referred to as the principal Act, after the existing word "SALARIES" and before the existing word "ACT", the expression "AND OTHER FACILITIES" shall be inserted.

3. Amendment in long title, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In the long title of the principal Act, after the existing expression "salaries" and before the existing expression "of the Ministers", the expression "and other facilities" shall be inserted.

4. Amendment in preamble, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In the preamble of the principal Act, after the existing expression "salaries" and before the existing expression "of the Ministers", the expression "and other facilities" shall be inserted.

5. Amendment in section 1, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- In section 1 of the principal Act, after the existing word "salaries" and before the existing word "Act", the expression "and other Facilities" shall be inserted.

6. Insertion of new section 7-BB, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- After the existing section 7-B and before the existing section 7-C of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

"7-BB. Facilities to former Chief Ministers.- (1)

Subject to any rules that may be made in this behalf, a person who has served as the Chief Minister of Rajasthan

for an uninterrupted term of five year shall, for remainder of his life, be entitled-

(a) to a Government residence of the same type, and with same facilities and concessions, to which a Minister is entitled to under this Act, which may be provided at option of such person either at Jaipur or at any other District Headquarters in Rajasthan:

Provided that if such Government residence is not available for allotment or if such person does not avail of the use of Government residence, he may be reimbursed a fixed monthly amount to be specified in the rules;

(b) to a State car for his own use or for the use of members of his family for transport in respect of journey within or out side of the State, as may be specified in the rules;

(c) to the use of telephone with all facilities of communication at his Government residence subject to such limit as may be specified in the rules;

(d) to the following numbers and categories of secretarial and other staff at his Government residence to be provided by the State Government in consultation with such person on such terms and conditions as may be specified in the rules, namely:-

(i) one Private Secretary;

(ii) one Personal Assistant or Stenographer, and if this facility is not availed of, to a fixed monthly amount to be specified in the rules;

(iii) one Clerk Grade I;

(iv) two Informatics Assistant, and if this facility is not availed of, to a fixed monthly amount to be specified in the rules;

(v) one driver, and if this facility is not availed of, to a fixed monthly amount to be specified in the rules;

(vi) three Class IV employees, and if this facility is not availed of, to a fixed monthly amount to be specified in the rules:

Provided that in special circumstances to be mentioned in the order, the State Government may,

on the request of such person, provide additional staff of any of the above categories temporarily to meet the circumstances.

(2) Where such person is also entitled to any of the facilities specified in clauses (a) to (d) of sub-section (1), for the time being as the President, Vice-President, Governor or Lieutenant Governor of any State or the Administrator of any Union Territory or as Member of Parliament or any State Legislature, or from the Central Government or any State Government or any Corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government or any local authority under any law or otherwise, he or she shall not be entitled to that facility to that extent under this section.”.

7. Addition of new section 11, Rajasthan Act No. 43 of 1956.- After the existing section 10 of the principal Act, the following new section shall be added, namely:-

“11. Regulation of certain payments on account of facilities to former Chief Ministers.- (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force, all sums of money paid or payable, until the commencement of the Rajasthan Ministers’ Salaries (Amendment) Act, 2017 (Act No.... of 2017), on account of any facilities provided to a former Chief Minister under any rule or order of the State Government shall be deemed to have been properly and lawfully paid or payable and no demand shall be made on such Chief Minister for the refund of the whole or any portion of such payment.

(2) Notwithstanding anything contained in section 7-BB, a former Chief Minister who was receiving any facility under any rule or order of the State Government immediately before the commencement of the Rajasthan Ministers’ Salaries (Amendment) Act, 2017 (Act No....of 2017) shall continue to avail such facilities for the remainder of his life even if he has not served as the Chief Minister of Rajasthan for an uninterrupted term of five year.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

For last some time the former Chief Ministers of Rajasthan are being provided, by executive orders of the State Government, certain facilities in addition to the pension and facilities available to them as a former member of the Rajasthan Legislative Assembly. These facilities are intended to be as a part of the pension benefits for their past services as a Chief Minister. It is deemed proper to give the aforesaid executive orders of the State Government statutory backing. Provision is also proposed to regularize the payments made or to be made under the executive orders of the State Government, until the coming into force of the proposed amendment.

It is proposed that a former Chief Minister who has served as such for an uninterrupted term of five years shall, for remainder of his or her life, be provided the facilities enumerated in the proposed clauses (a) to (d) of sub-section (1) of section 7-BB. These facilities shall be available to him only to the extent to which such facilities are not available to him or her from any of the sources enumerated in the proposed sub-section (1) of section 7-BB.

It is also proposed that a former Chief Minister who was receiving any facility under any rule or order of the State Government immediately before coming into force of the amendment proposed in this Bill shall continue to avail such facilities for the remainder of his life even if he has not served as the Chief Minister of Rajasthan for an uninterrupted term of five year as required by the proposed section 7-BB.

Opportunity is also availed to amend the title and long title of the principal Act to extend the scope of the Act so as to cover therein the facilities other than the salaries provided in the Act.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objects.

Hence the Bill.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 5 of the Bill, which seeks to insert a new section 7-BB in the principal Act, if enacted, shall empower the State Government to make rules with regard to the facilities to be provided under that section.

The delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

FINANCIAL MEMORANDUM

The proposed section 7-BB and 11(2), which seeks to provide for certain facilities to the former Chief Ministers of the State, shall involve recurring expenditure from the Consolidate Fund of the State. Presently this expenditure is estimated to be rupees twenty Lakhs per annum.

वसुन्धरा राजे,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN
MINISTERS' SALARIES ACT, 1956
(ACT No. 43 of 1956)**

XX XX XX XX XX XX XX

Title.- THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES ACT, 1956.

XX XX XX XX XX

Long title.- An Act to provide for the salaries of the Ministers of the State of Rajasthan

XX XX XX XX XX XX XX

Preamble.- WHEREAS it is expedient to provide for the salaries of the Ministers of the State of Rajasthan and for other matters connected therewith;

XX XX XX XX XX XX XX

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

XX XX XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2017 का विधेयक सं. 30

राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 के शीर्षक में संशोधन.-** राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43), जिसे इस अधिनियम में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के शीर्षक में, विद्यमान शब्द "वेतन" के पश्चात् और विद्यमान शब्द "अधिनियम" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अन्य सुविधा" अन्तःस्थापित की जायेगी।

3. **1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 के दीर्घ शीर्षक में संशोधन.-** मूल अधिनियम के दीर्घ शीर्षक में, विद्यमान शब्द "वेतनों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "का उपबन्ध" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अन्य सुविधाओं" अन्तःस्थापित की जायेगी।

4. **1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की प्रस्तावना में संशोधन.-** मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, विद्यमान शब्द "वेतनों" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "तथा उनसे संबंधित" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अन्य सुविधाओं" अन्तःस्थापित की जायेगी।

5. **1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 की धारा 1 में संशोधन.-** मूल अधिनियम की धारा 1 में, विद्यमान शब्द "वेतन" के पश्चात् और विद्यमान शब्द "अधिनियम" से पूर्व, अभिव्यक्ति "और अन्य सुविधा" अन्तःस्थापित की जायेगी।

6. **1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 में नयी धारा 7-खख का अन्तःस्थापन.-** मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 7-ख के पश्चात्

और विद्यमान धारा 7-ग से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"7-खख. पूर्व मुख्य मंत्रियों को सुविधाएं.- (1) ऐसे किन्हीं नियमों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाये जायें, कोई व्यक्ति, जो पांच वर्ष की अबाधित अवधि के लिए राजस्थान का मुख्य मंत्री रहा है, अपने शेष जीवनकाल में-

(क) उसी श्रेणी के और उन समान सुविधाओं और रियायतों सहित किसी सरकारी निवास का, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन कोई मंत्री हकदार है, जो ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर या तो जयपुर में या राजस्थान में किसी अन्य जिला मुख्यालय पर उपलब्ध करवाया जा सकेगा:

परन्तु यदि ऐसा सरकारी निवास आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं है या यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी निवास का उपयोग नहीं करता है तो उसको नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी;

(ख) राज्य के भीतर या बाहर, यात्रा के संबंध में परिवहन के लिए अपने स्वयं के उपयोग हेतु या उसके परिवार के सदस्यों के उपयोग हेतु, जैसाकि नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक राजकीय कार का;

(ग) ऐसी सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए, जो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाये, अपने सरकारी निवास पर संचार की समस्त सुविधाओं सहित दूरभाष के उपयोग का;

(घ) उसके सरकारी निवास पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्ति से परामर्श करके, ऐसी शर्तों और निबंधनों पर, जैसाकि नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये, निम्नलिखित संख्या और प्रवर्गों के सचिवालयिक और अन्य कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराये जाने का, अर्थात्:-

(i) एक निजी सचिव का;

(ii) एक निजी सहायक या आशुलिपिक का, और यदि इस सुविधा का उपभोग नहीं किया जाये तो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम का;

(iii) एक लिपिक ग्रेड I का;

(iv) दो सूचना सहायकों का, और यदि इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है तो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम का;

(v) एक चालक का, और यदि इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है तो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम का;

(vi) तीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का, और यदि इस सुविधा का उपयोग नहीं किया जाता है तो नियमों में विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी नियत मासिक रकम का,

हकदार होगा:

परन्तु आदेश में उल्लिखित की जाने वाली विशेष परिस्थितियों में, राज्य सरकार, ऐसे व्यक्ति के अनुरोध पर, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए उपर्युक्त प्रवर्गों में से किसी भी प्रवर्ग के अतिरिक्त कर्मचारिवृन्द अस्थायी रूप से उपलब्ध करवा सकेगी।

(2) जहां ऐसा व्यक्ति उप-धारा (1) के खण्ड (क) से (घ) में विनिर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी सुविधा का, तत्समय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या उप राज्यपाल या किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में, या संसद् या किसी राज्य विधान-मण्डल, या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम, या किसी स्थानीय प्राधिकरण, के सदस्य के रूप में, किसी विधि के अधीन या

अन्यथा हकदार है तो वह उस सुविधा का इस धारा के अधीन उस सीमा तक हकदार नहीं होगा/होगी।"।

7. 1956 के राजस्थान अधिनियम सं. 43 में नयी धारा 11 का जोड़ा जाना.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 10 के पश्चात्, निम्नलिखित नयी धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"11. पूर्व मुख्य मंत्रियों के लिए सुविधाओं के मद्धे कतिपय संदार्यों का विनियमन.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार के किसी नियम या आदेश के अधीन किसी पूर्व मुख्य मंत्री को राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.) के प्रारंभ तक, उपलब्ध करवायी गयी किन्हीं भी सुविधाओं के मद्धे संदत्त की गयी या संदेय समस्त धन राशियां, समुचित रूप से और विधिपूर्ण रूप से संदत्त की गयी या संदेय समझी जायेगी और ऐसे संपूर्ण संदाय या उसके किसी भाग के प्रतिदाय के लिए ऐसे मुख्य मंत्री से कोई मांग नहीं की जायेगी।

(2) धारा 7-खख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई पूर्व मुख्य मंत्री जो राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम सं.) के प्रारंभ से ठीक पूर्व राज्य सरकार के किसी नियम या आदेश के अधीन कोई सुविधा प्राप्त कर रहा था, तो वह अपने शेष जीवनकाल के लिए ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना जारी रखेगा चाहे वह पांच वर्ष की अबाधित अवधि के लिए राजस्थान का मुख्य मंत्री न रहा हो।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विगत कुछ समय से राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्रियों को, राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों द्वारा, पेंशन के अतिरिक्त कतिपय सुविधाएं और राजस्थान विधान सभा के पूर्व सदस्य के रूप में उनको उपलब्ध सुविधाएं दी जा रही हैं। ये सुविधाएं एक मुख्य मंत्री के रूप में उनकी पिछली सेवाओं के लिए पेंशन फायदों के एक भाग के रूप में आशयित हैं। राज्य सरकार के पूर्वोक्त कार्यकारी आदेशों को कानूनी आधार प्रदान करना समुचित समझा गया। प्रस्तावित संशोधन के प्रवृत्त होने तक, राज्य सरकार के कार्यकारी आदेशों के अधीन किये गये या किये जाने वाले संदायों को विनियमित करने के लिए भी उपबंध प्रस्तावित है।

किसी पूर्व मुख्य मंत्री को, जो इस रूप में पांच वर्ष की अबाधित अवधि के लिए मुख्य मंत्री रहा/रही है, उसके शेष जीवनकाल के लिए, धारा 7-खख की उप-धारा (1) के प्रस्तावित खण्ड (क) से (घ) में प्रगणित की गयी सुविधाएं उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। ये सुविधाएं उसे केवल उसी सीमा तक उपलब्ध करवायी जायेंगी, जिस तक धारा 7-खख की प्रस्तावित उप-धारा (1) में प्रगणित स्रोतों में से किसी स्रोत से उसे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

यह भी प्रस्तावित है कि कोई पूर्व मुख्य मंत्री, जो इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के प्रवृत्त होने से ठीक पूर्व राज्य सरकार के किसी नियम या आदेश के अधीन कोई भी सुविधा प्राप्त कर रहा था, अपने शेष जीवनकाल के लिए ऐसी सुविधाओं का उपयोग करना जारी रखेगा, चाहे वह पांच वर्ष की अबाधित अवधि के लिए राजस्थान का मुख्य मंत्री नहीं रहा है, जैसाकि प्रस्तावित धारा 7-खख द्वारा अपेक्षित है।

अधिनियम की व्याप्ति को बढ़ाने के लिए मूल अधिनियम के शीर्षक और दीर्घ शीर्षक को संशोधित किये जाने के अवसर का भी उपयोग किया गया है ताकि अधिनियम में उपबंधित वेतन से भिन्न सुविधाओं को इसमें समाविष्ट किया जा सके।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

वसुन्धरा राजे,

प्रभारी मंत्री।

वित्तीय जापन

प्रस्तावित धारा 7-खख और 11(2) से, जो राज्य के पूर्व मुख्य मंत्रियों को कतिपय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए ईप्सित हैं, राज्य की संचित निधि से आवर्ती व्यय अन्तर्वर्तित होगा। वर्तमान में यह व्यय बीस लाख रुपये प्रति वर्ष होना अनुमानित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी जापन

विधेयक का खण्ड 5, जो मूल अधिनियम में एक नयी धारा 7-खख को अंतःस्थापित करने के लिए ईप्सित है, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को, उस धारा के अधीन उपलब्ध करायी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

वसुन्धरा राजे,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 43)
से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

शीर्षक.- राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956

XX XX XX XX XX

दीर्घ शीर्षक.- राजस्थान राज्य के मंत्रियों के वेतनों का उपबन्ध
करने हेतु अधिनियम।

XX XX XX XX XX

प्रस्तावना.- यतः राजस्थान राज्य के मंत्रियों के वेतनों तथा उनसे
संबंधित अन्य मामलों का उपबंध करना समीचीन है।

XX XX XX XX XX

1. संक्षिप्त नाम:- इस अधिनियम का नाम राजस्थान मंत्री वेतन
अधिनियम, 1956 है।

XX XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

Bill No. 30 of 2017
THE RAJASTHAN MINISTERS' SALARIES (AMENDMENT)
BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने
के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरः स्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Ministers' Salaries Act, 1956.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Secretary.

(Vasundhara Raje, **Minister-Incharge**)